

## अध्याय-5

### परियोजना निगरानी

#### 5.1 परियोजना निगरानी

पीजीसीआईएल ठेको के प्री अवार्ड और पोस्ट अवार्ड दोनों चरणों पर द्विस्तरीय निगरानी तंत्र द्वारा परियोजनाओं की निगरानी करता है। कार्पोरेट स्तर निगरानी के लिए कार्पोरेट निगरानी समूह (सीएमजी) विभाग तथा प्रादेशिक स्तर मानीटरिंग हेतु, पीजीसीआईएल के अन्तर्गत संबंधित क्षेत्रों के योजना पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन (पीईएसएम) विभाग उत्तरदायी केंद्र हैं।

#### 5.2 प्री-अवार्ड निगरानी

पीजीसीआईएल की अधिप्राप्ति नीति ने कार्यकारी निदेशक (ठेका सेवाएं) के स्तर पर मासिक प्री-अवार्ड बैठकें तथा दो महीने में एक बार निदेशक (परियोजनाएं) के स्तर पर समीक्षा बैठक निर्दिष्ट की।

हालांकि, यह देखा गया था कि 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान की जाने वाली 60 प्री-अवार्ड मासिक बैठकों में से केवल 11 बैठकें ही की गई थी। इसके अतिरिक्त, 2012-13, 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान वर्ष में केवल एक मासिक प्री-अवार्ड बैठक की गई थी और 2015-16 के दौरान कोई प्री-अवार्ड बैठक नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त बैठकों के कार्यवृत्त भी अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

इन बैठकों के दौरान, कार्यकारी निदेशक (ठेका सेवा)/निदेशक (परियोजना) ने समय पर इनआईटी जारी करने एनओए आदि के निर्गमन हेतु इनपुटों की जल्द आपूर्ति/ क्यूआर को अंतिम रूप देने के निर्देश दिये थे। जहां अप्रैल 2013 से मार्च 2017 के दौरान की गई इन बैठकों में इनआईटी और एनओए के लिए निर्दिष्ट लक्षित तिथि निर्धारित की गई थी वहां 18 चयनित ट्रांसमिशन परियोजनाओं की एक समीक्षा से पता चला कि सात ट्रांसमिशन परियोजनाओं में, लक्ष्यपूरे नहीं किये गये थे तथा विलंब 6 दिनों से 819 दिनों के बीच तक देखा गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी/ जून 2019) कि प्रतिबद्ध या निर्दिष्ट तिथियों तक विभिन्न गतिविधियों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये गये हैं।

तथ्य यह है कि आगामी बैठकों में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं देखी गई तथा 17 ट्रांसमिशन परियोजनाओं से संबंधित 93 ठेकों देने में 50 सप्ताह से 150 सप्ताहों

से ज्यादा का विलंब हुआ। इस प्रकार, कार्य की प्रगति पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई या परियोजनाओं की समय पर पूर्णता हेतु की गई कार्रवाई के अभाव में, निगरानी का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

### 5.3 पोस्ट-अवार्ड निगरानी

#### 5.3.1 परियोजना समीक्षा बैठकें

परियोजना के सहज क्रियान्वयन के साथ-साथ कापॉरिट कार्यालय और क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए पीजीसीआईएल की अधिप्राप्ति नीति निर्दिष्ट यह करती है की क्षेत्र वार परियोजना समीक्षा बैठक (पीआरएम) को गई दो महीने में एक बार आयोजित तथा संबंधित क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। हालांकि रिकार्ड की समीक्षा से अग्रलिखित ज्ञात हुआ:

(i) पीआरएम निर्दिष्ट अंतरालों पर नहीं की गई थी क्योंकि इस अवधि के दौरान 30 पीआरएम बैठकें करने की आवश्यकता के प्रति 2012-17 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में चार<sup>51</sup> बैठकों में से केवल एक बैठक ही की गई थी।

अनुपालना रिपोर्ट की पूर्णता, प्रस्तुतीकरण महत्वपूर्ण मामलों की सुलझाना आदि के रूप में पीआरएम में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। नियमित बैठकों के अभाव में, निर्धारित लक्ष्य की निगरानी तथा महत्वपूर्ण मामलों को शीघ्र निपटान कठिन होगा जो कि परियोजना के सहज क्रियान्वयन को प्रभावित करेगा।

(ii) कार्य की धीमी प्रगति ठेकेदारों द्वारा संसाधनों के धीमे/ गैर-मोबलाइजेशन पर भी बैठक में चर्चा की गई थी। हालांकि, इस प्रकार कार्य की प्रगति पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई या परियोजनाओं की समय पर पूर्णता हेतु की गई कार्रवाई के अभाव में, निगरानी का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

(iii) समस्याएं/ बाधाएं जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब/ गंभीर राईट ऑफ वे समस्याएं, वन मंजूरी, सबस्टेशनों की तैयारी में विलंब तथा कठोर समस्याएं आदि पर लंबे समय हेतु 18 चयनित ट्रांसमिशन परियोजनाओं में से 11 पर चर्चा की गई थी परन्तु समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

इस प्रकार, सभी परियोजनाओं के लिए पीआरएम किया गया था। हालांकि, 10 योजनाओं के संबंध में फ्रंट उपलब्ध कराने में 1 से 39 महीनों के विलंब, सामान जैसे टावर, कंडक्टर्स आदि की मालिक को आपूर्ति में विलंब, अपर्याप्त सर्वेक्षण के

<sup>51</sup> डब्ल्यूआर 1-2, डब्ल्यूआर 11-1 एनआर 1-4, एनआर 11-4, एनईआर-1, एसआर आई-4, ईआर 11-4 एनआर 11-1 और ओडिशा-1

कारण कार्यक्षेत्र और मात्रा में परिवर्तन, निर्माताओं द्वारा निर्माण गतिविधिया आरंभ करने में विलंब को नियंत्रित पर इन बैठकों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था। इस प्रकार, कार्य की प्रगति पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई या परियोजनाओं की समय पर पूर्णता हेतु की गई कार्रवाई के अभाव में निगरानी का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

प्रबंधन/ मंत्रालय उने दिया (जनवरी/ जून 2019) कि परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि और आईटी अवसंरचना का उपयोग विडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा परियोजनाओं की निगरानी प्रभावी ढंग से तथा कम लागत पर की गई है।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि उपरोक्त विडियो कांफ्रेंसिंग के कोई कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं थे और उक्त के अभाव में, अपेक्षित बैठक करवाने के संबंध में डब्ल्यूपीपीपी का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके कारण 10 योजनाओं के क्रियान्वयन में परिहार्य विलंब हुआ।

### 5.3.2 मंत्रालय स्तर पर तिमाही निष्पादन समीक्षा

जैसा कि पहले भी यह चर्चा की गई है पीजीसीआईएल के स्तर पर परियोजना निगरानी प्रणाली के अतिरिक्त, एमओपी ने प्रत्येक तिमाही में पीजीसीआईएल परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी भी की। हालांकि 2012-17 के दौरान की गई तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों की स्थिति से ज्ञात हुआ कि तीन से सोलह महीनों के अंतराल के साथ 20 अपेक्षित बैठकों के प्रति केवल 10 बैठकें की गई थीं।

उपरोक्त दस बैठकों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि:

- (i) 2012-13 में, 12 मार्च 2013 (तीसरी तिमाही) में केवल एक बैठक की गई थी जिसमें विशेष मामलों पर कार्रवाई करने के लिए कम्पनी को सचिव (विद्युत) द्वारा निदेश दिये गये थे। हालांकि, 7 नवम्बर 2013 को हुई अगली बैठक में, उपरोक्त के संदर्भ में कोई अनुपालन/ प्रगति पर कार्यवृत्त के अनुसार चर्चा नहीं की गई थी। इसी प्रकार, 7 नवम्बर 2013 को हुई बैठक में विद्युत सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों आगामी बैठकों के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड नहीं पाये गये थे।
- (ii) 2014-15 में, 23 सितम्बर 2014 को केवल एक बैठक की गई थी और इनके कार्यवृत्त रिकॉर्ड में नहीं पाये गये थे।

(iii) 2015-16 हेतु पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए 23 सितम्बर 2014 को हुई अंतिम बैठक से लगभग 16 महीनों के अंतराल के बाद 22 फरवरी 2016 को एक बैठक की गई थी।

मंत्रालय ने कहा (जून 2019) कि अब से तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) नियमित रूप से तैयार की जाएगी और अगली क्यूपीआर बैठक से पहले अंतिम क्यूपीआर बैठक पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पीजीसीआईएल को सलाह दी गई।

लेखापरीक्षा आगामी बैठकों में दिये गये निर्देशों पर की गई कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में नियमित बैठकें कराने के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासन की प्रशंसा करती है।

#### 5.4 परियोजना पूर्णता रिपोर्ट

पीजीसीआईएल के पास परियोजना के सभी तकनीकी और वित्तीय विवरण को एक स्थान पर लाने के लिए क्रियान्वयन के दौरान सामना की गई मुख्य समस्याओं तथा उनको सुलझाने के लिए विशिष्ट पहल की गई कार्रवाई परियोजनाओं की पूर्णता के बाद परियोजना पूर्णता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। ऐसी रिपोर्ट, यदि उपलब्ध है, को अपनाई जाने वाली किसी विशेष प्रक्रिया या कार्यपद्धति और मद्देनजर रखे जाने वाले किसी महत्वपूर्ण पहलू के साथ-साथ अपने अनुभव/ उपलब्धि को रिकार्ड में लाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जून 2019) कि परियोजना क्लोजर रिपोर्ट हेतु अध्ययन, विचार विमर्श और फार्मेट को अद्यतित किया जाना प्रक्रियाधीन हैं तथा परियोजना क्लोजर रिपोर्ट सभी प्रभावी परियोजनाओं के लिए तैयार की जाएगी।

लेखापरीक्षा भविष्य में परियोजना पूर्णता रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में प्रबंधन/ मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासन की प्रशंसा करता है। हालांकि, सीएजी की 2014 की रिपोर्ट सं. 18 में समान मामले पर मंत्रालय ने संशोधित डब्ल्यूपीपीपी/ ईआरपी में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित रूप से विचार करने का आश्वासन दिया था (मार्च 2014)। परन्तु, यह देखा गया कि उक्त के संबंध में कोई परिवर्तन/ सुधार संशोधित डब्ल्यूपीपीपी 2016 में नहीं किये गये थे।

#### 5.5 देश भर में 24x7 विद्युत आपूर्ति की निगरानी न होना

भारत सरकार के सभी हेतु 24x7 विद्युत (पीएफए) कार्यक्रम का उद्देश्य मार्च 2019 तक सभी घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक विश्वसनीय तथा वहन करने योग्य 24x7 विद्युत आपूर्ति करना है।

सभी के लिए 24x7 विद्युत क्रियान्वित करने के लिए, संयोजक के रूप में इडी(टीएंडडी), आरईसी के साथ संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता के अधीन केन्द्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई (सीपीएमयू) को विभिन्न सीपीएसई से अधिकारियों के साथ गठित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) निदेशक (परियोजना), पीजीसीआईएल को विभिन्न अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुख्य क्षेत्रों जैसे भौतिक प्रगति, उपलब्धियां और/ या आय संबंधित मामलों पर ध्यान रखते हुए मासिक/ तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करनी आवश्यक थी। हालांकि 24x7 योजनाओं के संबंध में आवधिक रिपोर्टिंग की ऐसी कोई प्रणाली पीजीसीआईएल द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। इस मामले का संयुक्त सचिव (वितरण) की अध्यक्षता में 22 जनवरी 2018 को हुई सभी के लिए 24x7 विद्युत की निगरानी हेतु बैठक में पुनः दोहराया गया था, परन्तु 24x7 योजनाओं हेतु ऐसी कोई मासिक प्रगति रिपोर्ट आज तक भी मंत्रालय को पीजीसीआईएल द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ii) 24x7 पीएफए योजना की निगरानी पूर्णतः समर्पित वैबपोर्टल द्वारा की जा रही है और केन्द्रीय योजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) में विभिन्न अन्तरराज्यीय परियोजनाओं की प्रगति को अद्यतित करने के लिए पीजीसीआईएल को अनुरोध किया है। वैब पोर्टल कार्यक्रम के लिए एक डेशबोर्ड के रूप में कार्य करता है जोकि सहज रूप में सभी संबंधित पार्टियों की पहुंच में होता है। यह लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया कि क्या पीजीसीआईएल ने हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जैसे विभिन्न ट्रांसमिशन लाईन/ सबस्टेशन/ उपलब्धियों और/ या अन्य संबंधित मामलों की पूर्णता की स्थिति को पोर्टल में अद्यतित कर रहा था या नहीं।

इस प्रकार, पीएफए योजना में कम्पनी द्वारा निगरानी दर्शाती है कि इसमें आगे भी सुधार की गुंजाइश थी।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2019/ जून 2019) जो अग्रलिखित है:

(i) "सभी के लिए 24x7 विद्युत" को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा चिन्हित सहित विभिन्न अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली से संबंधित मुख्य क्षेत्र पर केन्द्रित मासिक/ तिमाही रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को भेजी गई हैं।

(ii) जैसा कि लेखापरीक्षा में सुझाव दिया गया था, सभी के लिए 24x7 विद्युत हेतु समर्पित वैब पोर्टल पर इस सूचना को अपलोड करने के लिए

आवश्यक विवरण भी एकत्र करने के लिए सीपीएमयू की आगामी समीक्षा बैठक में प्रयास किये जायेंगे।

प्रबंधन/ मंत्रालय का उत्तर अग्रलिखित तथ्यों के मद्देनजर देखा जाना चाहिए:

- (i) सभी योजनाओं हेतु 24x7 विद्युत हेतु निर्धारित लाईनों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विशिष्ट रिपोर्ट मंत्रालय को अग्रेषित नहीं की गई है।
- (ii) सभी के लिए 24x7 विद्युत हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर अद्यतन के संबंध में, प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की है।